

न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला-जालोर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 57/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मंसा पुत्र किस्तुराजी जाति माली निवासी अदापुरा तहसील रानीवाडा		1. कपुरा पुत्र देवा 2. जेसाराम पुत्र देवा 3. जामाराम पुत्र देवा 4. मगनाराम पुत्र देवा 5. छगना पुत्र हेमता 6. हरीश पुत्र हेमता 7. मंजु पुत्री हेमता 8. वादली पत्नि हेमता 9. जेठा पुत्र नेथी 10. थाना पुत्र नेथी 11. वागा पुत्र नेथी 12. सुरता पुत्र नेथी 13. सामा पुत्र नेथी 14. जोईता पुत्र पीरा 15. मसरा पुत्र पीरा 16. रूपा पुत्र पीरा 17. डाया पुत्र सांवला 18. तेजाराम पुत्र जोगा 19. हंजारीमल पुत्र जोगा 20. प्यारी पुत्री जोगा 21. पवनी पुत्री जोगा 22. सुकीदेवी पत्नि जोगा 23. तलका पुत्र हकमा 24. धुखाराम पुत्र हुकमाराम 25. भोलाराम पुत्र हुकमाराम 26. रणछोडाराम पुत्र हुकमाराम
2. रमेश कुमार पुत्र वेलारामजी जाति माली निवासी जालेराकलां तहसील रानीवाडा जिला-जालोर		27. प्रवीण पुत्र बाबुराम 28. विपिन पुत्र बाबु 29. पाबुदेवी पत्नि बाबु 30. कमला पुत्री बाबु 31. गीगी पुत्री बाबु 32. जकु पुत्री बाबु 33. मंजु पुत्री बाबु 34. शारदा पुत्री बाबु 35. रावता पुत्र राजींगा 36. वजा पुत्र राजींगा 37. सांवला पुत्र लच्छा जातियान माली निवासीयान अदापुरा तहसील रानीवाडा 38. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 39. शाखा प्रबंधक राजस्थान

दावा बाबत बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0
काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. वादीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्णोई ।
2. प्रतिवादी संख्या 38 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा ।

—: निर्णय :-

दिनांक 28.06.2022

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा मौखमपुरा तहसील रानीवाडा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 29 व 35 से 37 की संयुक्त व सामलाती खातेदारी आराजी खाता संख्या 31 खसरा नंबर 84 रकबा 1.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नंबर 86 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 87 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 88 रकबा 0.59 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.16 हैक्टेयर आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कपुराराम पुत्र देवा हिस्सा 1/48 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार छगना पुत्र हेमता हिस्सा 1/256 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, जेठा पुत्र नेथी हिस्सा 1/40 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, जैसाराम पुत्र देवा हिस्सा 1/48 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, जामाराम पुत्र देवा हिस्सा 1/48 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, जोईता पुत्र पीरा हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, डाय्या पुत्र सांवला हिस्सा 1/8 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, तेजाराम पुत्र जोगा हिस्सा 1/180 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, तलका पुत्र हुकमाराम 1/8 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, तलकाराम पुत्र हुकमाराम हिस्सा 1/48 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, नाबालिंग थाना पुत्र नेथी संरक्षक माता समदा हिस्सा 1/40 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, धुखाराम पुत्र हुकमाराम हिस्सा 1/48 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, प्यारी पुत्री जोगा हिस्सा 1/180 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, प्रवीण पुत्र बाबुराम हिस्सा 1/96 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, पवनी पुत्री जोगा हिस्सा 1/180 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, पाबुदेवी पत्नि बाबु हिस्सा 1/96 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, भोलाराम पुत्र हुकमाराम हिस्सा 1/48 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, मगनाराम पुत्र देवा हिस्सा 1/48 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, मंजु पुत्री हेमता हिस्सा 1/256 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, मसरा पुत्र पीरा हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, मंसा पुत्र किस्तुरा हिस्सा 1/16 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, रणछोडाराम पुत्र हुकमाराम हिस्सा 1/48 जाति माली साकिन अदापुरा

खातेदार, रूपा पुत्र पीरा हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, रमेश पुत्र वेलाराम हिस्सा 1/16 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, रावता पुत्र राजीगा हिस्सा 1/36 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, वजा पुत्र राजीगा हिस्सा 1/36 जाति माली साकिन माली खातेदार, नाबालिंग वागा पुत्र नेथी संरक्षक माता समदा हिस्सा 1/40 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, वादली पत्नि हेमता हिस्सा 1/256 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, विपिनकुमार पुत्र बाबु हिस्सा 1/96 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, सुकी पत्नि जोगा हिस्सा 1/180 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, नाबालिंग सुरता पुत्र नेथी संरक्षक माता समदा हिस्सा 1/40 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, नाबालिंग सामा पुत्र नेथी संरक्षक माता समदा हिस्सा 1/40 जाति माली साकिन देह खातेदार, सांवला पुत्र लच्छा हिस्सा 1/8 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, सांवला पुत्र लच्छा हिस्सा 1/32 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, हंजारीमल पुत्र जोगा हिस्सा 1/180 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार, हरीश पुत्र हेमता हिस्सा 1/256 जाति माली साकिन अदापुरा खातेदार खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी के खातेदार थाना, वागा, सुरता व सामा वर्तमान में बालिंग हो गये है। व सरहद मौजा अदापुरा तहसील रानीवाडा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 से 8, प्रतिवादी संख्या 14 से 16 व 27 से 34 की सामलाती खातेदारी आराजी खाता संख्या 77 खसरा नंबर 70 रकबा 2.07 हैक्टेयर आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में कमला पुत्री बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, गीगी पुत्री बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, छगना पुत्र हेमता हिस्सा 5/192 जाति माली साकिन देह खातेदार, जकु पुत्री बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार जोईता पुत्र पीरा हिस्सा 1/16 जाति माली साकिन देह खातेदार, जोईताराम पुत्र वीरा हिस्सा 1/24 जाति माली साकिन देह खातेदार, प्रवीण पुत्र बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, पाबुदेवी पत्नि बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, मंजु पुत्री हेमता हिस्सा 5/192 जाति माली साकिन देह खातेदार, मंजु पुत्री बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, मसरा पुत्र पीरा हिस्सा 1/16 जाति माली साकिन देह खातेदार, मसरा पुत्र पीरा हिस्सा 1/24 जाति माली साकिन देह खातेदार, मंसा पुत्र किस्तुरा हिस्सा 1/4 जाति माली साकिन देह खातेदार, रूपा पुत्र पीरा हिस्सा 1/16 जाति माली साकिन देह खातेदार, रमेश पुत्र वेलाराम हिस्सा 1/4 जाति माली साकिन देह खातेदार, वादली पत्नि हेमता हिस्सा 5/192 जाति माली साकिन देह खातेदार, विपिनकुमार पुत्र बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, शारदा पुत्री बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, हरीश पुत्र हेमता हिस्सा 5/192 जाति माली साकिन देह खातेदार दर्ज है तथा मौजा अदापुरा तहसील रानीवाडा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 5 से 8, प्रतिवादी संख्या 14 से 16 व 27 से 34 व 37 की सामलाती खातेदारी आराजी खाता संख्या 78 खसरा नंबर 108 रकबा 1.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 125 रकबा 0.17 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.35 हैक्टेयर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में कमला पुत्री बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, गीगी पुत्री बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, छगना पुत्र हेमता हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, जकु पुत्री बाबु हिस्सा 1/64

जाति माली साकिन देह खातेदार, जोईता पुत्र पीरा हिस्सा 1/16 जाति माली साकिन देह खातेदार, प्रवीण पुत्र बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, पाबुदेवी पत्नि बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, मंजु पुत्री हेमता हिस्सा 1/64 जाति माली खातेदार, मंजु पुत्री बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, मसरा पुत्र पीरा हिस्सा 1/16 जाति माली साकिन देह खातेदार, मंसा पुत्र किस्तुरा हिस्सा 1/4 जाति माली साकिन देह खातेदार, रूपा पुत्र पीरा हिस्सा 1/16 जाति माली साकिन देह खातेदार, रमेश पुत्र वेलाराम हिस्सा 1/4 जाति माली साकिन देह खातेदार, वादली पत्नि हेमता हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, विपिन कुमार पुत्र बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, शारदा पुत्री बाबु हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार, सांवला पुत्र लच्छा हिस्सा 1/8 जाति माली साकिन देह खातेदार, हरीश पुत्र हेमता हिस्सा 1/64 जाति माली साकिन देह खातेदार दर्ज है।

2. उक्त विवादीत आराजी सामलाती खातेदारी की होने से उक्त आराजी को विकसित करने में कठिनाईयां आ रही है तथा काश्त करने में भी कठिनाईयां आ रही है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 37 को कई बार उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने का कहा परन्तु प्रतिवादीगण आना-कानी करते रहे। वादीगण ने दिनांक 5.9.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 37 को वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 37 ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने में आना-कानी की तथा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 37 ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने का मना कर दिया तथा उन्होंने कहा कि हम आपसी सहमति से बंटवाडा नहीं करवायेगे तथा तुमने ज्यादा किया तो हम कीमती मौके की भुमि पर जबरदस्ती कब्जा कर देगे तथा तुम्हें लाठी के बल पर उक्त आराजी से बैदखल कर देगे। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित आराजीयान का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार व बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा करवा कर वादीगण अपना हिस्सा अलग बंटवाडा में प्राप्त करने के अधिकारी होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 37 के अवैध व गैर कानुनी कृत्यों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रूकवाने के वादीगण अधिकारी होने से वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह दावा बाबत बंटवाडा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।
3. विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 37 को कई बार उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने का कहा परन्तु प्रतिवादीगण आना-कानी करते रहे। तत्पश्चात उस समय पैदा हुआ जब वादी ने दिनांक 5.9.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 37 को वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 37 ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने में आना-कानी की तथा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 37 ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने का मना कर दिया तथा उन्होंने कहा कि हम आपसी सहमति से बंटवाडा नहीं करवायेगे तथा तुमने ज्यादा किया तो हम कीमती मौके की भुमि पर जबरदस्ती कब्जा कर देगे ता तुम्हें लाठी के बल पर उक्त आराजी से बैदखल कर देगे। तत्पश्चात वाद कारण निरन्तर जारी है।

4. इस्तदुआ वादीगण है कि मौजा मौखमपुरा तहसील रानीवाडा के खेत खाता संख्या 31 खसरा नंबर 84 रकबा 1.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नंबर 86 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 87 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 88 रकबा 0.59 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.16 हैक्टेयर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 29 व 35 से 37 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा कर वादी संख्या 1 को 1/16 हिस्सा व वादी संख्या 2 को 1/16 हिस्सा अलग-अलग बंट में दिया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 29 व 35 से 37 को भी उनके हिस्से माफिक व अलग-अलग बंट में दिया जावे तथा सरहद मौजा अदापुरा तहसील रानीवाडा के खाता संख्या 77 खसरा नंबर 70 रकबा 2.07 हैक्टेयर आराजी का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 से 8, 14 से 16 व 27 से 34 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधारपर बंटवाडा कर उक्त आराजी में से वादी 1 को 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 से 8, 14 से 16 व 27 से 34 को उनके हिस्से माफिक व अलग-अलग बंट में दिया जावे तथा मौजा अदापुरा तहसील रानीवाडा के खाता संख्या 78 खसरा नंबर 108 रकबा 1.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 125 रकबा 0.17 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.35 हैक्टेयर आराजी का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 से 8, 14 से 16 व 27 से 34 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा कर उक्त आराजी में से वादी 1 को 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 से 8, 14 से 16 व 27 से 34 व 37 को उनके हिस्से माफिक व अलग-अलग बंट में दिया जावे तथा इसी माफिक लगान के निर्धारण व राजस्व रेकॉर्ड में अमलदामद हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेश फरमावे। व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि प्रतिवादी संख्या 1 से 37 बाद बंटवाडा वादग्रस्त आराजी में वादी के बंट की आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल करावें।
5. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 37 व 39, 40 की ओर बाद तामिल समन अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 38 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं दिया गया।
6. दिनांक 11.01.2022 को न्यायालय द्वारा वादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा मौखमपुरा पटवार हल्का बड़गांव तहसील रानीवाडा में खसरा नम्बर 84, 85, 86, 87, 88 रकबा क्रमश 1.25, 0.92, 1.07, 0.33, 0.59 हेक्टेयर जूमले रकबा 4.16 हैक्टेयर व मौजा अदापुरा पटवार बड़गांव के खसरा नम्बर 108, 125 रकबा क्रमश 1.18, 0.17 हेक्टेयर जूमले रकबा 1.35 हेक्टेयर आराजी के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2022/24 दिनांक 13.01.2022 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2022/501 दिनांक 26.05.2022 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।
7. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादीगण के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा

किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा करने का निवेदन किया गया। अतः तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 37 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

(क) मौजा अदापुरा के खसरा नम्बर 108, 125 जूमले रकबा 1.35 हेक्टेयर।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगा न राशि
1.	मंसा पुत्र किस्तुरा जाति माली सा. देह खातेदार	108	1.18	0.3375	चा.सो. जा.सो.	गुलाबी	नियमानुसार
2.	रमेशकुमार पुत्र वेलाराम जाति माली सा. देह खातेदार	108	1.18	0.3375	चा.सो. जा.सो.	पीला	
3.	प्रवीणकुमार ,विपीनकुमार पि. बाबू कमला ,गीगी, जकू, मंजू ,शारदा पुत्री बाबू, पाबूदेवी पत्नि बाबू, जोईता, मसरा, रूपा पि. पीरा, सांवला पुत्र लच्छा, छगना हरीश पि. हेमता मंजु पुत्री हेमता वादली पत्नि हेमता जाति माली सा0 देह खातेदार	108 125	1.18 0.17	0.5050 0.17	चा.सो. जा.सो. चा.प्र. जा.प्र.	हरा	

(क) मौजा मौखमपुरा के खसरा नम्बर 84, 85, 86, 87, 88 रकबा क्मश 1.25, 0.92, 1.07, 0.33, 0.59 हेक्टेयर जूमले रकबा 4.16 हैक्टेयर।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1	मंसा पुत्र किस्तुरा जाति माली सा. देह खातेदार	84	1.25	0.26	बा.सो.	गुलाबी	नियमानुसार
2.	रमेशकुमार पुत्र वेलाराम जाति माली सा. देह खातेदार	84	1.25	0.26	बा.सो.	पीला	

3.	कपूराराम पुत्र देवा, जामाराम जैसाराम मगनाराम	84	1.25	0.73	बा.सो.	हरा
	पि० देवा, छगना हरीश पि० हेमता, मंजू पुत्री हेमता,	85	0.92	0.92	बा.सो.	
	वादली पत्नि हेमता, जेठा पुत्र नेथी नाबा. सामा सूरता	86	1.07	1.07	बा.सो.	
	वागा थाना पि० नेथी संरक्षक माता समदा,	87	0.33	0.33	बा.सो.	
	प्रवीणकुमार विपीनकुमार पि० बाबू पाबूदेवी पत्नि बाबू भोलाराम धुखाराम तलकाराम रणछोडाराम पि० हकमा तलकाराम, पुत्र हकमा, तेजाराम हंजारीमल पि० जोगा, प्यारी, पवनी पुत्रीयां जोगा, सुकीदेवी पत्नि जोगा, रावता वजा पि० राजींगा, सांवला पुत्र लच्छा डाय्या पुत्र सांवला, रूपा जोईता मसरा पि. पीरा कौम माली सा० देह खातेदार	88	0.59	0.59	बा.सो.	

8. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 37 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 37 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मंसा पुत्र किस्तुराजी जाति माली निवासी अदापुरा तहसील रानीवाडा 2. रमेश कुमार पुत्र वेलारामजी जाति माली निवासी जालेराकलां तहसील रानीवाडा जिला-जालोर		1. कपुरा पुत्र देवा 2. जेसाराम पुत्र देवा 3. जामाराम पुत्र देवा 4. मगनाराम पुत्र देवा 5. छगना पुत्र हेमता 6. हरीश पुत्र हेमता 7. मंजु पुत्री हेमता 8. वादली पत्नि हेमता 9. जेठा पुत्र नेथी 10. थाना पुत्र नेथी 11. वागा पुत्र नेथी 12. सुरता पुत्र नेथी 13. सामा पुत्र नेथी 14. जोईता पुत्र पीरा 15. मसरा पुत्र पीरा 16. रूपा पुत्र पीरा 17. डाया पुत्र सांवला 18. तेजाराम पुत्र जोगा 19. हंजारीमल पुत्र जोगा 20. प्यारी पुत्री जोगा 21. पवनी पुत्री जोगा 22. सुकीदेवी पत्नि जोगा 23. तलका पुत्र हकमा 24. धुखाराम पुत्र हुकमाराम 25. भोलाराम पुत्र हुकमाराम 26. रणछोडाराम पुत्र हुकमाराम 27. प्रवीण पुत्र बाबुराम 28. विपिन पुत्र बाबु 29. पाबुदेवी पत्नि बाबु 30. कमला पुत्री बाबु 31. गीगी पुत्री बाबु 32. जकु पुत्री बाबु 33. मंजु पुत्री बाबु 34. शारदा पुत्री बाबु 35. रावता पुत्र राजींगा 36. वजा पुत्र राजींगा 37. सांवला पुत्र लच्छा जातियान माली निवासीयान अदापुरा तहसील रानीवाडा 38. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 39. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बडगांव 40. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 57/2021

यह मुकदमा आज इनफिसाल कर्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 38 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं० 1 से 37, 39, 40 के विरुद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

(क) मौजा अदापुरा के खसरा नम्बर 108, 125 जूमले रकबा 1.35 हेक्टेयर।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे० में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे० में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगा न राशि
1.	मंसा पुत्र किस्तुरा जाति माली सा. देह खातेदार	108	1.18	0.3375	चा.सो. जा.सो.	गुलाबी	नियमानुसार
2.	रमेशकुमार पुत्र वेलाराम जाति माली सा. देह खातेदार	108	1.18	0.3375	चा.सो. जा.सो.	पीला	
3	प्रवीणकुमार ,विपीनकुमार पि. बाबू कमला ,गीगी, जकू, मंजू ,शारदा पुत्री बाबू, पाबूदेवी पत्नि बाबू, जोईता, मसरा, रूपा पि. पीरा, सांवल पुत्र लच्छा, छगना हरीश पि. हेमता मंजु पुत्री हेमता वादली पत्नि हेमता जाति माली सा० देह खातेदार	108	1.18	0.5050	चा.सो. जा.सो.	हरा	
		125	0.17	0.17	चा.प्र. जा.प्र.		

(क) मौजा मौखमपुरा के खसरा नम्बर 84, 85, 86, 87, 88 रकबा क्रमश 1.25, 0.92, 1.07, 0.33, 0.59 हेक्टेयर जूमले रकबा 4.16 हैक्टेयर।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे० में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे० में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1	मंसा पुत्र किस्तुरा जाति माली सा. देह खातेदार	84	1.25	0.26	बा.सो.	गुलाबी	नियमानुसार
2	रमेशकुमार पुत्र वेलाराम जाति माली सा. देह खातेदार	84	1.25	0.26	बा.सो.	पीला	

3	कपूराराम पुत्र देवा, जामाराम जैसाराम मगनाराम पि० देवा, छगना हरीश पि० हेमता, मंजू पुत्री हेमता, वादली पत्नि हेमता, जेठा पुत्र नेथी नाबा. सामा सूरता वागा थाना पि० नेथी संरक्षक माता समदा, प्रवीणकुमार विपीनकुमार पि० बाबू पाबूदेवी पत्नि बाबू भोलाराम धुखाराम तलकाराम रणछोडाराम पि० हकमा तलकाराम, पुत्र हकमा, तेजाराम हंजारीमल पि० जोगा, प्यारी, पवनी पुत्रीयां जोगा, सुकीदेवी पत्नि जोगा, रावता वजा पि० राजींगा, सांवला पुत्र लच्छा डाय्या पुत्र सांवला, रूपा जोईता मसरा पि. पीरा कौम माली सा० देह खातेदार	84	1.25	0.73	बा.सो.	हरा
		85	0.92	0.92	बा.सो.	
		86	1.07	1.07	बा.सो.	
		87	0.33	0.33	बा.सो.	
		88	0.59	0.59	बा.सो.	

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 37 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 37 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28.06.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00